रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 847] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2014/चैत्र 14, 1936
No. 847] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2014/CHAITRA 14, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,13 मार्च , 2014

का.आ.1033(अ)-- केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए हैं ;

और, प्रारूप ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2013, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1353(अ), तारीख 23 मई, 2013 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तथा उक्त संशोधन नियम को ओजोन सेल की वेबसाइट पर भी रखा गया था ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ड) "प्रोटोकॉल" से ऐसे पदार्थों पर, जो ओजोन परत का अवक्षयण करते हैं, उन पर 16 सितम्बर, 1987 को अंगीकृत, समय-समय पर यथासंशोधित, मॉन्ट्रीयल प्रोटोकाल अभिप्रेत है ।'।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में,––

(क) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :––

"(2) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को, सिवाय समूह VI के, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के लागू होने की तारीख से, सभी अनुप्रयोगों के लिए, जिसके अंतर्गत वे पदार्थ नहीं हैं जिनका उपयोग अन्य रसायनों के निर्माण में फीडस्टॉक के रूप में होता है जिनका उत्सर्जन नगण्य है, यदि कोई है, प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ।

(2क) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में समूह VIII में विनिर्दिष्ट पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को, सिवाय करंतीन और लदाई पूर्व अनुप्रयोगों के ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के लागू होने की तारीख से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ;

(2ख) कोई भी व्यक्ति ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के लागू होने की तारीख से 1 जनवरी, 2040 तक अनुसूची 2 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट आधार रेखा की तत्स्थानी प्रतिशतता से अधिक अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट समूह VI में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन या उनका उत्पादन करना कारित नहीं करेगा और भारत में ऐसे पदार्थों का उपभोग आधार वर्ष में संगणित उपभोग का स्तर उस अनुसूची के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा ;

(2ग) समूह VI पदार्थों के उत्पादक गैरफीडबैक अनुप्रयोगों के लिए एचसीएफसी - 22 की संपूर्ण घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू बाजार में ओजोन कक्ष, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी कोटा आदेशों से अधिक आपूर्ति नहीं करेंगे । केन्द्रीय सरकार, एचसीएफसी - 22 के घरेलू उत्पादन में कमी की दशा में, एचसीएफसी - 22 का बाजार अपेक्षाओं के अनुसार और वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों के अधीन रहते हुए, उपभोग नियंत्रण मात्रा के भीतर आयात अनुज्ञात करेगी ।"।

(ख) उपनियम (3) के खंड (iii) में, "समूह I और समूह II के रूप में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :––

"समूह I और समूह III के रूप में विनिर्दिष्ट ";

(ग) उपनियम (3) में खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

"(iv) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट समूह VI ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से बहुपक्षीय निधि की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित करार के अनुसार अनुसूची 2 के स्तंभ (6) में दिए गए वर्षों के लिए स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट आधार रेखा की तत्स्थानी प्रतिशतता तक अनुसूची 2 के क्रमशः स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को सीमित रखेगी ।"।

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :––

"(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट मॉन्ट्रीयल प्रोटोकाल अनुसूची के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन और उपभोग के फेज आउट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, गैर फीड स्टॉक अनुप्रयोगों के लिए समूह VI पदार्थों के उत्पादन और उपभोग के लिए कोटा प्रणाली और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग सहित सभी फीड स्टॉक अनुप्रयोगों के लिए मानीटरी और रिपोर्टिंग प्रणाली जैसी पद्धतियों को लागू करेगी ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में,––

(क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :––

"(1) कोई व्यक्ति किसी देश को, जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट नहीं है, किन्हीं ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों, जिसके अंतर्गत ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का संमिश्र और संमिश्रण का आयात नहीं करेगा या आयात करना कारित नहीं करेगा या निर्यात नहीं करेगा या निर्यात करना कारित नहीं करेगा, जब तक वह अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है और उस प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं कर लेता है ।";

(ख) उपनियम (2) में "अनुसूची 2 के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगा । ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समूह VI पदार्थों सहित समूह I, समूह II, समूह III, समूह IV और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले संमिश्रों के निर्यात और आयात के लिए सिवाय पुनः प्राप्त किए गए, रिसाइकिल किए गए और उद्धृत ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों या अनिवार्य उपयोग नामनिर्देशन (ईयूएन), यदि कोई है, या विनाश या फीडस्टॉक अनुप्रयोगों के ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना प्रतिषिद्ध है ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से 1 जनवरी, 2040 तक समूह VI में एचसीएफसी - 22 के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति उत्पादन और घरेलू आपूर्ति के परिमाण के बीच अंतर तक अनुज्ञात की जाएगी ।";

(ग) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समूह VI पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले पूर्व संमिश्र पोलियोलों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने का ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से प्रतिषेध है ।"।

5. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (5) में, "अनुसूची 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"और अनुसूची 3";

6. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) में "अनुसूची 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"और अनुसूची 3";

7. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) वातानुकूलन और रेफ्रीजरेशन उपस्करों और समूह VI पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले अन्य उत्पादों का आयात 1 जुलाई, 2015 से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ।"।

8. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जो अन्य रसायनों के उत्पादन में नगण्य उत्सर्जन, यदि कोई है, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का फीडस्टॉक के साथ उपयोग करता है, अनुसूची 10 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिलेखों को रखेगा और रिपोर्टों को फाइल करेगा ।"।

9. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात, अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट अनुप्रयोगों या परिस्थितियों को, रिपोर्ट करने और मानीटर करने के सिवाय, लागू नहीं होगी ।"।

10. उक्त नियमों की अनुसूची 2 में क्रम सं. 4(क) और 4(ख) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	**ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम**	**आधारी स्तर* से संबद्ध वर्ष**	**संपूर्ण रूप में समूह के लिए आधारी स्तर के रूप में संगणित प्रतिशतता के रूप में बारह मास की अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उत्पादन**	**संपूर्ण रूप में समूह के लिए आधारी स्तर के रूप में संगणित प्रतिशतता के रूप में बारह मास की अवधि में अधिकतम अनुज्ञेय उपभोग**	**स्तंभ (4) और स्तंभ (5) से संबद्ध तारीख**	**ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्पादन के लिए सक्षमताओं के सृजन पर रोक**	**ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के साथ या उसको अंतर्विष्ट करते हुए उत्पादों के विनिर्माण के लिए नई सक्षमताओं के सृजन पर रोक**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
"4(क)	VI	2009-2010	100	100	1.1.2013	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए

(ख)	VI	2009-2010	90	90	1.1.2015	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(ग)	VI	2009-2010	65	65	1.1.2020	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(घ)	VI	2009-2010	32.5	32.5	1.1.2025	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(ङ)	VI	2009-2010	2.5	2.5	1.1.2030	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए
(च)	VI	2009-2010	0	0	1.1.2040	19.07.2000	वह तारीख, जिसको ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 प्रवृत्त हुए ।"।

11. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में,--

(क) स्तंभ (4) में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्रावस्थाबद्ध रीति से हटाने की तारीख ";

(ख) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	**क्रियाकलापों का नाम**	**ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम**	**प्रावस्थाबद्ध रीति से हटाने की तारीख**
(1)	(2)	(3)	(4)
"10.	(क) घरेलू रेफ्रिजरेटरों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2015
	(ख) सतत् सैंडविच पैनलों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2015
	(ग) पूर्व ब्लैंडिकृत पोलिओलों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2022
	(घ) जारी न रखे गए सैंडविच पैनलों सहित सभी अन्य फेन उत्पादों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2020
	(ङ) वातानुकूलकों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(च) अन्य रेफ्रिजरेटरों वातानुकूलक उत्पादों (जिसके अंतर्गत संपीड़क नहीं है) का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(छ) अग्निशमक और अग्निशमक प्रणालियों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(ज) सभी अन्य उपस्करों या उत्पादों का विनिर्माण	समूह VI	1.1.2025
	(झ) रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलक उपस्कर या उत्पादों की मरम्मत	समूह VI	1.1.2040
	(ञ) अग्निशमक और अग्निशमक प्रणालियों की मरम्मत	समूह VI	1.1.2040 ।"।

(ग) तारांकित (*) से चिह्नांकित टिप्पण का लोप किया जाएगा ।

12. उक्त नियमों की अनुसूची 5 में,--

(क) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	नियम सं.	कार्य	प्राधिकारी का नाम	रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
"3.	6(1)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के व्यापारियों/ डीलरों/थोक विक्रेताओं/ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण	पर्यावरण और वन मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी	समूह I, समूह II, समूह III और समूह IV के अधीन सूचीबद्ध पदार्थों की दशा में 31 दिसम्बर, 2009 तक, समूह VI में पदार्थों की दशा में 31 दिसम्बर, 2039 और समूह VIII में पदार्थों की दशा में दिसम्बर, 2014 तक	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय ।"।

(ख) क्रम सं. 6 के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	नियम सं.	कार्य	प्राधिकारी का नाम	रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
"7.	5. (1)	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के निर्यातकों या आयातकों का रजिस्ट्रीकरण	पर्यावरण और वन मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी	31 दिसम्बर, 2029	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय ।"।

13. उक्त नियमों की अनुसूची 6 में,--

(1) भाग 1 में,--

(क) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"10. बोल्विया बहुराष्ट्रीय राज्य";

(ख) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"25. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य";

(ग) क्रम सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(घ) क्रम सं. 35क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"35ख. भूमध्यीय गुआना";

(ङ) क्रम सं. 49 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"49क. इराक";

(च) क्रम सं. 54 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"54. लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया";

(छ) क्रम सं. 55 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"55. कोरिया गणराज्य ";

(ज) क्रम सं. 60 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"60. लीबिया ";

(झ) क्रम सं. 70 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"70. मोलडोवा गणराज्य ";

(ञ) क्रम सं. 71 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"71क. मोन्टेनिग्रो";

(ट) क्रम सं. 88 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ठ) क्रम सं. 94क और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"94क. सर्बिया";

(ड) क्रम सं. 99 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"99क. दक्षिणी सूडान";

(ढ) क्रम सं. 104 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"104. संयुक्त गणराज्य तंजानिया";

(ण) क्रम सं. 106 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"106क. तिमोर - लेस्ते";

(2) भाग 3 में,--

(क) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"1क. अंडोरा";

(ख) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"8क. साइप्रस";

(ग) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(घ) क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"17क. होली सी";

(ङ) क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"23क. कज़ाखस्तान";

(च) क्रम सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"33क. रोमानिया";

(छ) क्रम सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"34क. सान मारिनो";

(ज) क्रम सं. 40 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(झ) क्रम सं. 42 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"42. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड";

(ञ) क्रम सं. 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"43. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका";

(ट) क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"45. यूरोपियन यूनियन";

14. उक्त नियमों की अनुसूची 7 में,—

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले उत्पादों के आयात और निर्यात का विनियमन";

(ख) क्रम सं. 1 से क्रम सं. 6 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उत्पाद का नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम	वह तारीख जिसको निर्यात का विनियमन प्रभावी होता है	वह तारीख जिसको आयात का विनियमन प्रभावी होता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	वायुयान, मोबाइल या ऑटोमोबाइल, नाव, ट्रेन और ट्रक वातानुकूलन इकाइयां (चाहे यान में लगी हुई हों या नहीं)	समूह VI	इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् छह मास	इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् छह मास
2.	घरेलू और वाणिज्यिक रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन या ताप पम्प उपस्कर अर्थात्, :— - रेफ्रिजरेटर - प्रशीतक - निराद्रीकारक - जल शीतक यंत्र - हिम यंत्र - वातानुकूलन और ताप पम्प इकाइयां - संपीडित्र	समूह I, समूह VI	यथोपरि	यथोपरि

3.	एअरोसोल उत्पाद सिवाए औषधीय एयरोसोल	समूह I, समूह VI	यथोपरि	यथोपरि
4.	सुबाह्य अग्निशमक/प्रणाली सिलेंडर	समूह II, समूह VI	यथोपरि	यथोपरि
5.	इंसुलेशन बोर्ड, पैनल और पाइप कवर	समूह I, समूह VI	यथोपरि	यथोपरि
6.	प्री पोलिमर्स	समूह I, समूह VI	यथोपरि	यथोपरि ।"।

15. उक्त नियमों की अनुसूची 8 में, मद सं. (vii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--

"(viii) प्रोटोकोल द्वारा अनुमोदित अन्य रसायनों के विनिर्माण में अनुसूची 1 के स्तंभ (4) में समूह VI के रूप में विनिर्दिष्ट ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्पादन**,** नगण्य उत्सर्जन, यदि कोई हो, के साथ ।"।

16. उक्त नियमों की अनुसूची 9 में, क्रम सं. (2) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :**--**

"(2क) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 10क में किया जाएगा ।"।

17. उक्त नियमों की अनुसूची 10 में, भाग 7 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात् :--

"भाग 7

अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना

(1) नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसरण में रखे गए अभिलेख अनुसूची 5 के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के भारत सरकार के अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी के अनुरोध पर किसी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे । तथापि, वे व्यक्ति जो स्थानीय रूप से उत्पादित ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के विक्रय में लगे हुए हैं, वे संबंधित उत्पादन उपक्रम के सहायक प्रबंधक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी या पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी के अनुरोध पर किसी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए अभिलेखों को उपलब्ध कराएंगे ।"।

18. उक्त नियमों की अनुसूची 11 में,--

(क) प्ररूप 1 के पृष्ठ 3 के स्तंभ (1) में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के समूह का नाम शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"समूह VI ।";

(ख) प्ररूप 10 के पृष्ठ 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 10क - पृष्ठ 1

ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का निर्यात/आयात कर रहे उपक्रमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप [नियम 5 का उपनियम (1)]

1. फर्म का नाम

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (तहसील, जिला, राज्य सहित)

3. रजिस्ट्रीकरण की तारीख और अधिनियम का नाम जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण किया गया है (ऐसे रजिस्ट्रीकरण की एक प्रति उपाबद्ध की जानी है)

4. आयातकों या निर्यातकों की विशिष्टियां

क्रम सं.	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का नाम *1	निर्यातकों या आयातकों का पता	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का आयात या निर्यात आरंभ करने की तारीख	उसका नाम और पता, जिससे या जिसको पिछले बारह मास के दौरान ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ का आयात या निर्यात किया गया था

प्ररूप 10क -- पृष्ठ 2

5. स्वत्वधारी या मुख्य कार्यपालक का नाम :

6. कृपया नवीनतम आय-कर निर्धारण आदेश की प्रति संलग्न करें :

मुहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर *2

सत्यापन

मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त क्रम सं. 1 में वर्णित उपक्रम/फर्म ने ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है ।

मैं .... सुपुत्र .... सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना और उपाबंध तथा उसके साथ के सभी विवरण सही और पूर्ण हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं .... की क्षमता में ऊपर दी गई सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं और उसका सत्यापन कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम हूं ।

स्थान .... **मुहर सहित हस्ताक्षर *2 ....**

तारीख ....

टिप्पण :

*1. कृपया सभी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की सूची के लिए अनुसूची 1 देखें ।

*2. सत्यापन भाग सहित पूर्वोक्त प्ररूप पर व्यष्टि की दशा में स्वयं व्यष्टि द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटूंब की दशा में कर्ता द्वारा : भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंधकर्ता भागीदार द्वारा, किसी कंपनी की दशा में इस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, और कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी प्रभारी व्यक्ति द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किए जाएं ।"।

[फा.सं. 16/1/96-ओसी]

मनिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 670(अ), तारीख 19 जुलाई, 2000 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :–

1. का.आ. 1283 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001
2. का.आ. 966 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2003
3. का.आ. 929 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2004
4. का.आ. 1391 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2005 और
5. का.आ. 1561 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2007 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13 March, 2014

S.O. 1033 (E). – Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 *vide* notification number S.O. 670(E), dated the 19th July, 2000;

And whereas the draft Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Amendment Rules, 2013 were published, under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1353(E), dated the 23rd May, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public and the said amendment rules were also placed on the website of Ozone Cell;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely : -

1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 2, for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-

   "(m) "protocol" means the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, adopted on the 16th September, 1987 as amended from time to time.".

3. In the said rules, in rule 3, -

   (a) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

   "(2) Production and consumption of ozone depleting substances specified in column (4) of Schedule I except Group VI have been prohibited from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 for all applications excluding the substances which are for use as feedstock in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any;

   (2A) Production and consumption of Group VIII substances specified in column (4) of Schedule I have been prohibited except for use in quarantine and pre-shipment applications from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014;

   (2B) No person shall produce or cause to produce ozone depleting substances specified as Group VI in column (4) of Schedule I during the period from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 to the 1st January, 2040 in excess of the corresponding percentages of the baseline specified in column (4) of Schedule II and the consumption of such substances in India as a percentage of calculated level of consumption in base year does not exceed the number specified in column (5) of that Schedule.

   (2C) The producers of Group VI substances shall not supply to the domestic market quantities in excess of the quota orders issued by the Ozone Cell, Ministry of Environment and Forests to cover the entire domestic requirement of HCFC-22 for non-feedstock application and in the event of shortfall in domestic production of HCFC-22, the Central Government shall allow import of HCFC-22 within the consumption control quantity as per the market requirements and subject to actual user conditions.".

   (b) in sub-rule (3), in clause (iii), for the words and letters "specified as Group I and Group II", the following words and letters shall be substituted, namely : -

   "specified as Group I and Group III";

   (c) in sub-rule (3), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :-

   "(iv) specified as Group VI in column (4) of Schedule I shall limit the production and consumption of ozone depleting substances as specified in column (4) and (5) respectively of Schedule II, from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 to 1st January, 2040 to the corresponding percentages of the baseline specified in column (4) for the years given in column (6) of Schedule II as per the agreement approved by the Executive Committee of the Multilateral Fund.".

   (d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(4) In order to comply with the phase out targets of production and consumption of ozone depleting substances as per the Montreal Protocol Schedule referred in sub-rules (2) and (3), the Central Government shall introduce implementation modalities, such as quota system for production and

consumption of Group VI substances for non-feedstock applications and monitoring and reporting system for all feedstock applications including use of Carbon tetrachloride.”.

4. In the said rules, in rule 5, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) No person shall import or cause to import from or export or cause to export to any country not specified in Schedule VI, any ozone depleting substances including blends or mixtures of ozone depleting substances unless he is registered with the authority specified in column (4) of Schedule V and obtains a licence issued by the authority.”;

(b) in sub-rule (2), after the words, brackets, figure and letters “specified in column (5) of Schedule II”, the following shall be added at the end, namely:-

“and Schedule III. Issuance of licence for import and export is prohibited for Group I, Group II, Group III, Group IV and blends containing ozone depleting substances including Group VI substances specified in column (4) of Schedule I from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 except recovered, recycled and reclaimed ozone depleting substances or for Essential Use Nominations (EUN) if any or ozone depleting substances for destruction or for feedstock applications. From the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 until the 1st January, 2040, licence for export of HCFC-22 in Group VI shall be permitted to the extent of the difference between the production and domestic supply volumes.”;

(c) after the sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) Issuance of licence for import of pre-blended polyols containing Group VI substances specified in column (4) of Schedule I is prohibited from the date of commencement of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014.”.

5. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (5), after the words, brackets, figure and letters “specified in column (2) of Schedule II”, the following words and letters shall be inserted, namely : -

“and Schedule III”;

6. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), after the words, brackets, figure and letters “specified in column (2) of Schedule II”, the following words and letters shall be inserted, namely : -

“and Schedule III”;

7. In the said rules, in rule 10, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely : -

“(1A) Import of air-conditioning and refrigeration equipments and other products containing Group VI substances is prohibited from the 1st July, 2015.”.

8. In the said rules, in rule 14, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely : -

“(1A) Every person who uses ozone depleting substances as feedstock in the manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any shall maintain records and file reports in the manner specified in Part I of the Schedule X.”.

9. In the said rules, in rule 15, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely : -

“(1) Nothing contained in these rules except reporting and monitoring shall apply to applications or circumstances specified in Schedule VIII.”.

10. In the said rules, in Schedule II, for serial number 4(a) and (b) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of Group of ozone depleting substances	Year(s) relating to base level*	Maximum allowable production in period of twelve months as percentage of calcu-lated base level for Group as a whole	Maximum allowable consumption in a period of twelve month as percentage of calculated consumption of base years for Group as a whole	Date related to column (4) and (5)	Ban on creating capacities for production of ozone depleting substances	Ban of creating new capacities to manufacture products made with or containing ozone depleting substances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
“4(a)	VI	2009-2010	100	100	1-1-2013	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force
(b)	VI	2009-2010	90	90	1-1-2015	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force

(c)	VI	2009-2010	65	65	1-1-2020	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force
(d)	VI	2009-2010	32.5	32.5	1-1-2025	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force
(e)	VI	2009-2010	2.5	2.5	1-1-2030	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force
(f)	VI	2009-2010	0	0	1-1-2040	19-07-2000	Date on which the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014 come into force.”.

11. In the said rules, in Schedule IV, -
    (a) In column (4), for the existing heading, the following shall be substituted, namely : -
    “Phase-out Date”;
    (b) for serial no 10, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely : -

S. No.	Name of Activities	Name of Group of ozone depleting substances	Phase-out Date
(1)	(2)	(3)	(4)
“10.	(a) Manufacture of domestic refrigerators	Group VI	1-1 -2015
	(b) Manufacture of continuous sandwich panels	Group VI	1-1-2015
	(c) Manufacture of pre-blended polyols	Group VI	1-1-2022
	(d) Manufacture of all other foam products including discontinuous sandwich panels	Group VI	1-1-2020
	(e) Manufacture of air-conditioners	Group VI	1-1-2025
	(f) Manufacture of other refrigeration and air-conditioning products (excluding compressors)	Group VI	1-1-2025
	(g) Manufacture of fire extinguisher or fire extinguishing systems	Group VI	1-1-2025
	(h) Manufacture of all other equipments or products	Group VI	1-1-2025
	(i) Servicing of refrigeration and air-conditioning equipment or products	Group VI	1-1-2040
	(j) Servicing of fire extinguisher and fire extinguishing systems	Group VI	1-1-2040.”.

    (c) The note marked asterisk (*) shall be omitted;

12. In the said rules, in Schedule-V, -
    (a) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely : -

S. No.	Rule No.	Function	Name of Authority.	Last date for registration.	Name of Appellate Authority.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3.	6(1)	Registration of traders/dealers/ wholesaler/sellers of ozone depleting substances.	An officer not below the rank of Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests.	In case of substance listed under Group I, Group II, Group III and Group IV up to the 31st December 2009, in case of substances in Group VI up to 31st December, 2039 and in case of substances in Group	Secretary, Ministry of Environment and Forests.”.

				VIII up to 31st December 2014.	

(b) after serial number 6, the following serial number and entries shall be added at the end, namely :-

S. No.	Rule No.	Function	Name of Authority	Last date for registration	Name of Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	5(1)	Registration of importers or exporters of ozone depleting substances.	An officer not below the rank of Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests.	31st December, 2029.	Secretary, Ministry of Environment and Forests.

13. In the said rules, in Schedule VI, -

(1) in Part I, -

(a) for serial number 10 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"10. Plurinational State of Bolivia";

(b) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"25. Democratic Republic of the Congo";

(c) serial number 30 and the entry relating thereto shall be omitted;

(d) after serial number 35A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -
"35B. Equatorial Guinea";

(e) after serial number 49 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely : -
"49A. Iraq"

(f) for serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"54. Democratic People's Republic of Korea";

(g) for serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"55. Republic of Korea";

(h) for serial number 60 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :-
"60. Libya";

(i) for serial number 70 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"70. Republic of Moldova";

(j) after serial number 71 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely : -
"71A. Montenegro";

(k) serial number 88 and the entry relating thereto shall be omitted;

(l) for serial number 94A and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :-
"94A. Serbia";

(m) after serial number 99 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -
"99A. South Sudan";

(n) for serial number 104 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"104. United Republic of Tanzania";

(o) after serial number 106 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -
"106A. Timor-Leste";

(2) in Part III, -

(a) after serial number 1 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely : -
"1A. Andora";

(b) after serial number 8 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely : -
"8A. Cyprus";
(c) serial number 11 and the entry relating thereto shall be omitted;
(d) after serial number 17 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -
"17A. Holy See";
(e) after serial number 23 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely : -
"23A. Kazakhstan";
(f) after serial number 33 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely : -
"33A. Romania";
(g) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : -
"34A. San Marino";
(h) serial number 40 and the entry relating thereto shall be omitted;
(i) for serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"42. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland";
(j) for serial number 43 and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"43. United States of America";
(k) for serial number 45 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-
"45. European Union"

14. In the said rules, in Schedule - VII, –
(a) for the existing heading, the following shall be substituted, namely : -
"Regulation on import and export of products containing ozone depleting substances";
(b) for serial number 1 to 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely : -

Sl. No.	Name of Product	Name of group of ozone depleting substances.	Date regulation on imports becomes effective.	Date regulation on exports becomes effective.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Aircraft, mobile or automobile, boat, train and truck air-conditioning units. (whether incorporated in vehicle or not).	Group VI	Six months after these rules come into force.	Six months after these rules come into force.
2.	Domestic and commercial refrigeration and air-conditioning or heat pump equipment e.g. - Refrigerators - Freezers - Dehumidifiers - Water coolers - Ice machines - Air conditioning and heat pump units - Compressors	Group I, Group VI	-do-	-do-
3.	Aerosol products, except medical aerosols	Group I, Group VI	-do-	-do-
4.	Portable fire extinguishers/ System cylinder	Group II, Group VI	-do-	-do-
5.	Insulation boards, panels and pipe covers	Group I, Group VI	-do-	-do-
6.	Pre-polymers	Group I, Group VI	-do-	-do-.".

15. In the said rules, in Schedule VIII, -

after item number (vii), the following item shall be added, namely:-

"(viii) Production of ozone depleting substances specified as Group VI in column (4) of Schedule I for the Protocol approved feedstock uses in manufacture of other chemicals, with negligible emissions, if any.".

16. In the said rules, in Schedule IX, -

after serial number (2), the following serial number shall be inserted, namely:-

"(2A) Application for registration of persons under sub-rule (1) of rule 5 shall be made in Form 10A of Schedule XI.".

17. In the said rules, in Schedule – X, for Part VII, the following Part shall be substituted, namely :-

"Part VII,

Production of records

(1) Records being maintained pursuant to requirements of rule 13 shall be available for inspection at any reasonable time on request by an officer of the registering authority specified in column (4) of Schedule V, not below in rank to a Section Officer to the Government of India. However, persons who are engaged in selling any locally produced ozone depleting substances, they shall make records available for inspection at any reasonable time on request by an officer of the concerned producing enterprise not below in rank to Assistant Manager or on request by an officer of the Ministry of Environment and Forests not below in rank to a Section Officer.".

18. In the said rules, in Schedule – XI, -

(a) in Form 1, in Page 3, in column 1, for the existing entry under the heading, Name of Group of Ozone Depleting Substances, the following entry shall be substituted, namely : -
"Group VI.";

(b) after Form 10- Page 2, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM 10A - Page 1

FORM FOR REGISTRATION OF ENTERPRISES IMPORTING/EXPORTING OZONE DEPLETING SUBSTANCES [SUB-RULE (1) OF RULE 5]

1. Name of firm
2. Address of registered office (including Tehsil, District, State)
3. Date of registration and the name of Act under which registered (A copy of such registration to be attached)
4. Particulars of importers or exporters

S. No.	Name*1 of ozone depleting substances.	Address of importers or exporters.	Date of start of import or export of ozone depleting substances.	Name and address from or to whom ozone depleting substance was imported or exported during the past twelve months.

Form 10A - Page 2

5. Name of Proprietor or Chief Executive :
6. Please attach a copy of latest Income Tax Assessment Order :

Signature of the applicant *2
with Seal

Verification

I declare that the enterprise/ firm mentioned in Sr. 1 above has not applied for registration under sub-rule (1) of rule 5 of the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000 with any other registering authority.

I ………………………………………….. S/o ……………………………………… do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given above and the annexure and statements any accompanying it are correct and complete.

I further declare that I am submitting and verifying the information given above in my capacity as ……………………. and that I am competent to do so.

Place ………….. Signature *2…………………
Date ……………. with seal

Notes:

*1 Please see Schedule I for list of all ozone depleting substances.

*2 The above Form including the verification portion must be signed in case of an individual by the individual himself or a person duly authorized by him, in case of Hindu undivided family, by the Karta: in case of the partnership firm, by the managing partner, in case of a company, by a person duly authorized in that behalf by the Board of Directors and in any case, by a person in-charge of or responsible for the conduct of the business.".

[F. No. 16/1/96-OC]
MANINDER SINGH, Jt. Secy.

Note :- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 670 (E), dated the 19th July, 2000 and subsequently amended *vide* :-

1. S.O. 1283 (E), dated the 31st December, 2001;
2. S.O. 966 (E), dated the 27th August, 2003;
3. S.O. 929 (E), dated the 16th August, 2004;
4. S.O. 1391 (E), dated the 26th September, 2005; and
5. S.O. 1561 (E), dated the 18th September, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.